किता → 54

2019/00241

30.10.19
27-11

राजस्थान सरकार

कोठारी स्टेशनर्स, भीलवाड़ा ☏ 230289
हा. पेशी

जनरल कस्ल [redacted]
यालय उपखण्[redacted] फार्म नम्बर 8 के
[redacted]ना–भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमांक 5
धारा 88	65/2019	19/09/2019 21/4/22	[signature] 27/7/23	1623 27/7/23

अनवान

श्री दामोदर पुत्र भोलू दरोगा V/S श्री राजस्थान सरकार

निवासी लिखोलिया निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीवार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री जे.एल. आचार्य श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2.2.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. मौ. रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 9/3/23 को पेश हो। [signature]
9/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्राञावली दिनांक 13/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
13/4/23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया की जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 01/06/23 को पेश हो। [signature]
01/6/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्राञावली दिनांक 22/6/23 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
22/06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली बहस पर है, किन्तु भूमि जो वादी द्वारा चाही जा रही है वो चरागाह दर्ज रिपोर्ट है। ग्राम पंचायत बिजौलिया सरपंच का जवाब/अनापत्ति प्रमाण पत्र बावजूद सूचना के अप्राप्त है। अतः ग्राम पंचायत बिजौलिया सरपंच को जवाब हेतु पुनः लिखा जाकर पत्रावली वास्ते जवाब ग्राम पंचायत के दिनांक 28/7/23 को पेश हो। [signature]

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। ग्राम पंचायत बिजौलिया को जवाब के लिए पत्र लिखे गए, परन्तु जवाब आदिनांक अप्राप्त हुआ। पत्रावली में पंचायत का जवाब प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 27/7/2023 को पेश हो। [signature]	
27/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाडी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 65/2019 दायर तारीख 19/09/2019

अनवान

दामोदर पुत्र भोलू जाति दरोगा उम्र बालिग व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाडा
2. तहसीलदार बिजौलियां
3. ग्राम पंचायत बिजौलिया कला मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलियां कला तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

......प्रतिवादी

उपस्थित :- 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य- अधिवक्ता वादी
02 पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक : 27/07/2023

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की माता श्रीमती रूपा विधवा भोलू जाति दरोगा निवासी बिजौलियां कला को मौजा बिजौलिया कला स्थित आराजी नं0 1530/200 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वां व आराजी नं0 1531/200 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वां का आवंटन संवत 2041 मे किया गया जिसका बाद आवंटन की पालना मे नामान्तकरण 737 श्रीमती रूपा विधवा भोलू जाति दरोगा के नाम पर खोला गया व गैर खातेदार के रूप मे जमाबन्दी मे नाम दर्ज किया गया। आवंटन शर्तो की पालना आवंटी द्वारा कर दिये जाने से आवंटित भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। वादी की माता श्रीमती रूपा की मृत्यु हो गयी वादी एक मात्र स्व0 श्रीमती रूपा का उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या दो द्वारा श्रीमती रूपा के स्थान पर वादी के नाम पर बहेसियत खातेदार के वादग्रस्त भूमि मे से 1 बीघा की कटौती कर कम दर्ज की गयी। वादी के नाम दर्ज की गयी भूमि का विवरण राजस्व रेकॉर्ड अनुसार आराजी नं0 1530/200 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वां व आराजी नं0 1531/200 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वां है। 1 बीघा भूमि जिसका खसरा संख्या 1530/200/1 दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के खाते मे किस्म भूमि चारागाह दर्ज की गयी जो मूलतः अवैध होकर शून्य है क्योकि श्रीमती रूपा की खातेदारी से 1 बीघा भूमि बिना किसी आधार के खातेदार की बिना जानकारी मे आने दिये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश दर्ज कर की गयी है एक बीघा भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस मे कोई तरमीम नही हो रखी है।

वादी ने अनुतोष चाहा की मौजा बिजौलिया कला स्थित आराजी नं0 1530/200/1 रकबा 1 बीघा की प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खसरा संख्या 1530/200/1 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये पंजीकृत सूचना पत्र से करवायी गयी।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार होने से तहसीलदार बिजौलियां ने क्रमांक/राजस्व/2021/721 दिनांक 30.08.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामील पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार ने जवाब मे अंकित किया कि :-

1. ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 1530/200 रकबा 2.19 बीघा किस्म बारानी तृतीय एवं आराजी नं0 1531/200 रकबा 2.17 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल किता 2 रकबा 5.16 बीघा भूमि राजमल पिता धीसीलाल, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। तथा आराजी नं0 1741/200 रकबा 1.00 बीघा किस्म चरागाह ग्राम विकास पंचायत बिजौलियां कलां चरागाह दर्ज रेकार्ड है।
2. मुताबिक चालू व पुराना राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण करने पर पाया कि ग्राम बिजौलियां कलां की जमाबन्दी संवत् 2039-41 के खा.सं. 518 की आराजी नं0 1530/200 रकबा 3.19 बीघा भूमि चरागाह दर्ज रिकार्ड थी जिसमें इ0नं0 655 दिनांक 03.12.1983 से पूरा रकबा 3.19 बीघा भूमि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाडा)

Scanned with OKEN Scanner

बिलानाम दर्ज हुआ एवं नामा0 सं. 737 दिनांक 02.09.1984 से आ.नं. 1530/200 रकबा 3.19 बीघा भूमि मु0 रूपा पत्नी भोलू दरोगा के नाम से आवंटन होकर गैरखातेदारी दर्ज हुई लेकिन वक्त रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2043–46 में रूपा पत्नी भोलू दरोगा की गैरखातेदारी आ0नं0 1530/200 रकबा 2.19 बीघा दर्ज कर दिया तथा शेष रकबा आ0नं0 1530/200 रकबा 1.00 बीघा सेवन से चरागाह दर्ज कर दिया गया जिसके शुद्धि–पत्र से नये नम्बर 1741/200 रकबा 1.00 बीघा चरागाह दर्ज रिकार्ड है। जबकि रूपा पत्नी भोलू दरोगा के नाम आ.नं. 1530/200 रकबा 3.19 बीघा भूमि गैरखातेदारी दर्ज होनी थी।

3. उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये।

1. नोटिस पंचायत एवं जिलाधीश।
2. पोस्टल रसीद।
3. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2047–2050 की पेश की।
4. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2051–2054 की पेश की।
5. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2063–2066 की पेश की।
6. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2059–2062 की पेश की।
7. वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 की पेश की।
8. आवंटन पत्रावली की फोटो प्रति।
9. नक्शा ट्रेस।लगातार पेज संख्या 02 पर

प्रतिवादी की ओर से अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही हुयें।

साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी में पक्षकारो द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया, वादी ने साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात, नकल जमाबन्दीयां प्रस्तुत की हैं। वादी के वादपत्र को डिक्री फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पैराकार सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन किया।

पत्रावली में पैरोकार सरकार तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी को मौजा बिजौलियां कला स्थित आराजी नं0 1530/200/1 रकबा 1 बीघा की प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खसरा संख्या 1530/200/1 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के घोषित फरमाते हुये दर्ज अभिलेख किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर मौजा बिजौलियां कला स्थित आराजी नं0 1530/200/1 रकबा 1 बीघा की प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खसरा संख्या 1530/200/1 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री मुर्तिक हो।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(54)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 65/2019 दायर तारीख 19/09/2019

अनवान

दामोदर पुत्र भोलू जाति दरोगा उम्र बालिग व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा
2. तहसीलदार बिजौलिया
3. ग्राम पंचायत बिजौलिया कला मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलियां कला तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादी
02 पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 27/07/2023
डिक्री दिनांक : 27/07/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद पत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर मौजा बिजौलियां कला स्थित आराजी नं0 1530/200/1 रकबा 1 बीघा की प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खसरा संख्या 1530/200/1 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

नीज ....Nil........ मुबलिग .... Nil ....
बाबत् ...... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....
का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह ....वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(हस्ताक्षर)
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned with OKEN Scanner